

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

था.2/सी/ स्था./41/2010/ 949-A


//आदेश//

भोपाल,दिनांक 15/6/10

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पी.एस.धुर्वे (वाणिज्य)	-	शास.रू.भाष चंद बोस उ.मा.वि.सिवनी जिला सिवनी	23440177703	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. बा. पाटन जिला जबलपुर	23390577702
2.	श्री अशोक कुमार पाटील (हिन्दी)	AH 3444	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. मुलताबा जिला बैतूल	23350877701	शास.क.उ.मा.वि. बैतूल बाजार जिला बैतूल	23350377705
3.	श्री मधुकर माकोडे (हिन्दी)	AA 8597	शास.उ.मा.वि. बाया जिला सीहोर	23330277709	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	23330477701
4.	श्रीमती निर्मला नानावटी (रसायन)	BH 4308	शास.उ.मा.वि.डबल चौकी देवास जिला देवास	23230177708	शास.उ.मा.वि. अहिल्या आश्रम इन्दौर	23260177717
5.	श्रीमती सुलभा काले (अंग्रेजी)	AM 7372	शास.उ.मा.वि.महू जिला इन्दौर	23260277704	शास.क.उ.मा.वि. राजेन्द्र नगर इन्दौर	23260177706
6.	श्री ओमप्रकाश पारिख (हिन्दी)	-	शास.उ.मा.वि. उदनखेडी (सारंगपुर) जिला राजगढ़	23300477706	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़	23300377701
7.	श्री जितेन्द्र सिंह आजाद (जीवविज्ञान)	AK 7605	शास.उ.मा.वि.असवार जिला भिण्ड	23030577703	शास.क.उ.मा.वि. जयेन्द्रगंज जिला ग्वालियर	-
8.	श्री प्रतापसिंह गुर्जर (अंग्रेजी)	AT 8528	शास.उ.मा.वि. दीवानगंज जिला रायसेन	23340577703	शास.नवीन उ.मा.वि. चौदबड जिला भोपाल	23320377729
9.	श्री मुकेश शर्मा (भौतिक शास्त्र)	BO 9669	शास.नूतन सुभाष उ. मा.वि. टी.टी.नगर भोपाल	23320377706	शास.नवीन क.उ.मा. वि.तुलसी नगर भोपाल	23320377718

  
लोक शिक्षण म.प्र.  
भोपाल,दिनांक 15/6/10

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/स्था0/41/2010/ 950  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला सिवनी/जबलपुर/बैतूल/सीहोर/देवास/इन्दौर/राजगढ़/भिण्ड/ग्वालियर/रायसेन भोपाल ।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सिवनी / जबलपुर / बैतूल / सीहोर / देवास / इन्दौर / राजगढ़ / भिण्ड / ग्वालियर / रायसेन / भोपाल ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संगीय कार्यालय जबलपुर, भोपाल / उज्जैन / इन्दौर / ग्वालियर ।
6. जिला क्रोषालय अधिकारी जिला सिवनी / जबलपुर / बैतूल / सीहोर / देवास / इन्दौर / राजगढ़ / भिण्ड / ग्वालियर / रायसेन / भोपाल ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी / जबलपुर / बैतूल / सीहोर / देवास / इन्दौर / राजगढ़ / भिण्ड / ग्वालियर / रायसेन / भोपाल । म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करत हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। ।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।



आयुक्त,  
लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्र०/श.क./संवि./बी/61/2010/520

भोपाल, दिनांक 14/6/10

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सीता सोनी अध्यापक शा. नवीन मा.शा. सैडारा जिला- दमोह	AH6105	231207053 03	जिला पंचायत दमोह जा.क.1407दि.16.7.09	नगर पंचायत सावेर जिला इन्दौर जा.क.826 दि.1.6.10 शा.बा.उ.मा.वि.सावेर	232604777 02
2	श्रीमती रूपाली जैन अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा.करनपुरा जिला- दमोह	BS5818	232604074 09	जिला पंचायत दमोह जा.क.2035 दि.4.6.10	नगर पालिका परिषद बीना जिला सागर जा.क.निरंक दि.4.6.10 शा.मा.शाला क-3 बीना	231199666 03
3	श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शाला खेरा जिला टीकमगढ़	BC9643	230801079 01	जनपद पंचायत बल्देवगढ़ जा.क.1128 दि.12.5.10	जनपद पंचायत इन्दौर जा.क.1433 दि.4.5.10 शा.उ.मा.वि.रोजडी	232605080 01
4	श्रीमती संगीता जायसवाल अध्यापक शा.मा.शा.लोनिया जिला- बैतूल	AE4250	233507044 02	जिला पंचायत बैतूल जा.क.5092दि.25.6.09	जिला पंचायत सीहोर जा.क.8234 दि.6.11.09 शा.मा.शाला कला लडकुई	233304067 02
5	श्रीमती पुष्पलता बारगे अध्यापक शा.मा.शाला कादमपुर जिला सीहोर	AB1328	233305165 02	जिला पंचायत सीहोर जा.क.2482दि.17.5.10	जिला पंचायत बैतूल जा.क.3413दि.1.6.10 शा.हाईस्कूल डहुआ	233508666 09
6	कुमारी हेमलता बौरासी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शाला जामन्या जिला हरदा	AL4686	233603074 01	जनपद पंचायत खिरकिया जि.हरदा जा.क.1132दि.28.5.10	जनपद पंचायत खण्डवा जा.क.1401 दि.7.6.10 शा.प्रा.शाला बितौरामील	233304067 07
7	श्री रामसुजान पाल अध्यापक (विकलांग) शा.मा.वि.माखनपुर जिला पन्ना	AT4303	231001084 01	जिला पंचायत पन्ना जा.क.447दि.17.5.10	जिला पंचायत छतरपुर जा.क.1652दि.26.5.10 शा.मा.शा.महयावा	230904068 01
8	श्रीमती कमला राय सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.शा.कर्री जिला छतरपुर	AF7204	230908172 02	जनपद पंचायत राजनगर जा.क.779 दि.20.5.10	जनपद पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़ जा.क.4057 दि.3.6.10 शा.प्रा.शाला नयागोव	230805020 01

*me*

## संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


भोपाल, दिनांक 14/6/10

पृ./- क्र०/शि.क./संवि./बी/61/2010/521  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।



8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
14.6.10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./संवि./बी/61/2010/522

भोपाल, दिनांक 14/6/10

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रिमो सिंह वरिष्ठ अध्यापक(अंग्रेजी) शा.क.उ.मा.वि.भौरा जिला- बैतूल	AE5261	233510999 01	जिला पंचायत बैतूल जा.क्र3765 दि.4.6.10	नगर पालिका परिषद इटारसी जिला होशंगाबाद जा.क्र 238 दि. 31.5. 2010 शा.बा.उ.मा.वि.इटारसी	233703141 16


संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।



8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 14/6/10

पृ./ क्र०/शि.क./संवि./बी/61/2010/523  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./संवि./बी/६५/२०१०/५२६

भोपाल, दिनांक 14/6/10

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती शशि कुशवाहा अध्यापक(कला) शा. मा.शा. विरासन जिला- पन्ना	AS9906	231004083 02	जिला पंचायत पन्ना जा.क्र.848दि.8.6.10	जिला पंचायत छतरपुर जा.क्र.1876 दि.9.6.10 शा.हाई स्कूल धमौरा	230905666 02
2	श्रीमती अपर्णा पालीवाल अध्यापक(गणित) शा.मा.शा.नीलकण्ठार जिला- सीहोर	AA5809	233302075 02	जिला पंचायत सीहोर जा.क्र.1752 दि.9.6.10	नगर पालिका परिषद व्याबरा जिला राजगढ़ जा.क्र. 3511 दि. 9.6.2010 शा.क.मा.वि.व्याबरा	233002278 33
3	श्रीमती संगीता मिश्रा अध्यापक (कला) शा.पूर्व मा.वि.चौपरा जिला पन्ना	AT1921	231005173 02	जिला पंचायत पन्ना जा.क्र.711 दि.3.6.10	जिला पंचायत रीवा जा.क्र. 216 दि.10.6.10 शा. पूर्व मा.वि.गौरा	235008170 03
4	श्रीमती शमशीर कुरेशी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.घोड़ानार जिला- होशंगाबाद	AL8588	235008170 02	जनपद पंचायत पिपरिया जा.क्र.1150दि.4.6.10	जनपद पंचायत परासिया जिला छिन्दवाड़ा जा.क्र.314 दि 28.5.10 शा.प्रा.शा.इकलहरा	234303777 07
5	श्री तुलसी राम चौहान विकलांग अध्यापक (कला) शा.मा.शाला अमऊखेड़ी जिला विदिशा	BE9517	233107043 02	जिला पंचायत विदिशा जा.क्र.4026दि.3.6.10	जिला पंचायत रायसेन जा.क्र.2470दि.21.5.10 शा.मा.शा.नानपोन	233401175 01
6	श्रीमती आभा खरे अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा. कुसुमी जिला सागर	AY3346	231107127 02	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 839 दि. 10.05.10	जिला पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 1822 दि. 21.05.10 शा.मा.शा. धजरई	230806035 02



## संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षापरिर्णियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख सं पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
उप संचालक 4.6.10


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 14/6/10

पृ./ क्र०/ शि.क./संवि./बी/65/2010/527  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।



8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
14.6.10  
उप संचालक  
ब्लॉक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./संवि./बी/62/2010/549

भोपाल, दिनांक 14/6/10


:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ. दीप्ति समाधिया वरिष्ठ अध्यापक (इतिहास) शा.क.उ.मा.वि. मझौली जिला जबलपुर	AB 9598	23390377 702	नगर पंचायत मझौली जिला जबलपुर जा.क्र. क्यू दि. 10.06.10	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 911 दि. 26.05.10 शा.क.उ.मा.वि. ढाना	23111077 711


संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।



8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
14.6.10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ./क्र०/शि.क./संवि./बी/62/2010/550  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 14/6/10

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

  
14.6.10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./सवि./बी/62/2010/551

भोपाल, दिनांक 14/6/10

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक वर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक वर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संदर्भ में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती विनिता दुबे वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा.क.उ.मा.वि. खिरकिया जिला हरदा	AZ 4967	23360377 01	नगर पंचायत खिरकिया जिला हरदा जा.क्र. 29 दि. 20.05.10	नगर पालिका परिषद इटारसी जिला होशंगाबाद जा.क्र. 351 दि. 06.06.10 शा.क.उ.मा.वि. इटारसी	23370377 708

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।



708

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लिखित निकय में संविधान के निये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अस्थापक/सहायक अस्थापक को उसी वर्ग एवं उपाधि/व्यवस्था के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकय में संविधान किया जाएगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अस्थापक/सहायक अस्थापक का अधिनियम दलित होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकय द्वारा संविधान संबंधी पदावन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत हो सकें।
4. तालिका के कालम-6 में अधिकतम निकय द्वारा पदावन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अधिकतम निकय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अस्थापक/सहायक अस्थापक को कार्यरत न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अस्थापक/सहायक अस्थापक जिन में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वेतना तथा विकल्प प्रकरण होने की तिथि में 40 प्रतिशत से अधिक विकल्पता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविधान आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविधान निये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अस्थापक/सहायक अस्थापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविधान निकय के वरिष्ठ अस्थापक/सहायक अस्थापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अस्थापक/सहायक अस्थापक के संविधान प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिजल्ट पद सूची मती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से करने के उपरान्त ही संविधान की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।

संविधान की शर्त -

क्र.	अस्थापक वर्गों में कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण विवरण		काम पद एवं कार्यरत		संस्था/ जिले का	
	नाम	संस्था/ जिले का	संस्था/ जिले का	क्रमांक	वर्ग/ श्रेणी	वर्ग/ श्रेणी
1	1	2	3	4	5	6
	श्रीमती विजया देवी	वरिष्ठ अस्थापक (हिन्दी)	शा.क.उ.मा.वि. (दिल्ली)	AZ 4967	23360377	01
	नगर पालिका परिषद	नगर पदायत विधिकया	जिला हरदा	जा.क. 29 दि. 20.05.10	जिला हरदा	शा.क.उ.मा.वि. इंदरसी
	23370377	708				

4030 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-48/2008/20-1 दिनांक 28.4.08 में उल्लिखित परिषद दिनांक-8.12.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकल्पता अस्थापक वर्गों के एक निकय से दूसरे निकय में उल्लिखित प्रथम/द्वितीय श्रेणी तालिका के कालम-2 में उल्लिखित अस्थापक वर्गों के संबंध में स्वीकृत संविधान तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लिखित निकय द्वारा जारी अनुमति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद प्राप्त, विद्यमान, तथा वेतनमान के रिजल्ट पत्र पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविधान की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र०/शि.क./सा.वि./धी/62/2010/551  
 मध्य प्रदेश  
 लोक शिक्षण संचालनालय  
 भोपाल, दिनांक 14/6/10 :: आदेश ::



**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./सी/संवि./10/2010/575

भोपाल, दिनांक 15/6/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती केशर महोबिया वरि.अ. (राजनीति) शा.उ.मा.वि. वरहटा जिला नरसिंहपुर	AS1087	234003777 05	जिला पंचायत नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर जा.क्र.898-1दि 13.4.10	जिला पंचायत सागर जिला -सागर जा.क्र.838दि 10.5.10 शा.उ.मा.वि.वारूर	231110666 07
2	श्रीमती ज्योति मण्डल सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कुल्हार जिला विदिशा	BF3284	233101168 03	जनपद पंचायत गंज बासौदा जिला विदिशा जा.क्र.2999दि 13.7.10	नगरपालिका परिषद बीना जिला -सागर जा.क्र.44 दि 13.4.10 शा.मा.वि. नानकवार्ड	231104173 01
3	श्रीमती अर्चना मिश्रा सहायक अध्यापक शा.पूर्व मा.वि. झण्ड जिला सतना	BN7978	231306083 03	जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान जिला सतना जा.क्र.605दि 03.6.10	नगरपालिक निगम रीवा जिला -रीवा जा.क्र.905 दि 14.6.10 शा.मार्तण्ड उत्कृष्ट वि. क्रमांक-1	231401267 03
4	श्रीमती संगीता पटेरिया अध्यापक शा.उ.मा.वि. उमरावगंज जिला रायसेन	AT6102	233404777 03	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.2852दि 10.6.10	जिला पंचायत सागर जिला -सागर जा.क्र.923 दि 03.6.10 शा.हाईस्कूल बरोदा रहली	231110666 08
5	श्रीमती सरोज चरेड अध्यापक शा.उ.मा.वि. सावाखेडा जिला मंदसौर	AQ7812	231906777 13	जिला पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.1918दि 04.6.10	जिला पंचायत नीमच जिला -नीमच जा.क्र.3657 दि 18.5.10 शा.मा.वि. सोनियाना शा.हाईस्कूल कोटडी	231807087 02
6	श्रीमती प्रमिला तिवारी अध्यापक शा.पूर्व मा.शा. चंदुआर जिला सिंगरौली	BC6600	235002142 02	जिला पंचायत सिंगरौली जिला-सिंगरौली जा.क्र.2226दि 14.6.10	जिला पंचायत उमरिया जिला उमरिया जा.क्र.1096 दि.06.05.10 शा.पूर्व मा.वि. ताला	231509137 01

*M.B.*


7	श्री जयत शर्मा (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.मा.शा. अनंतपुरा जिला सागर	AX9843	231106161 02	जनपद पंचायत देवरी जिला-सागर जा.क्र.660 दि 10.5.10	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.733 दि.08.06.10 शा.प्रा.शा. महेवा शा.प्रा.शा. डांगकरेरा	230501028 01
8	श्रीमती अर्पणा उपाध्याय सहायक अध्यापक शा.प्राथ.शा. बधैनी जिला सतना	AW1507	231306226 01	जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान जिला-सतना जा.क्र.694 दि 11.6.10	नगर पंचायत गुढ़ जिला रीवा जा.क्र.594 दि.14.06.10 शा.प्रा.शाला चंदेहरी	231402127 01
9	श्रीमती मीना जामुरे सहायक अध्यापक शा.प्राथ.शा. बाकल जिला सिवनी	AZ5044	2344J3092 01	जनपद पंचायत कंवेलारी जिला-सिवनी जा.क्र.2756-ए दिनांक 27.4.10	जनपद पंचायत कटंगी जिला बालाघाट जा.क्र.607 दि.10.06.10 शा.प्रा.क.शाला अगासी शा.मा.शाला आगरी	234503062 02

### संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम 2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।

*M. S.*


11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।  
“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

  
15.6.10  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 15/6/10

पृष्ठा. क्र. / शि.क. / सी / सवि / 10 / 2010 / 576  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, सा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
15.6.10  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./बी/संवि./69/2010/ 577

भोपाल, दिनांक 15/6/10

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सुषमा चौरसिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. तालचिरी जिला सागर	AX8162	23110211 601	जनपद पंचायत जैसीनगर जिला सागर जा.क्र. 300 दि. 17.05.10	जनपद पंचायत गैरतगंज जिला रायसेन जा.क्र. 531 दि. निरंक शा.प्रा.शा. बाढेर	2334030 1201
2	श्रीमती शिवकुमारी बुधोलिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कोदारास खुर्द जिला नरसिंहपुर	AS3060	23400119 301	जनपद पंचायत नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 365 दि. 05.05.10	जनपद पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. 644 दि. 02.06.10 शा.प्रा.शा. रंगई	2331071 9201
3	श्रीमती रामकुंवर सोलंकी अध्यापक शा.हाईस्कूल गौहर जिला सागर	AY4786	23110466 605	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 927 दि. 04.03.10	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 4928 दि. 26.05.10 शा.मा.वि. बेरछा	2326020 6602
4	श्रीमती संगीता खरे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. लहर जिला छतरपुर	AF8275	PS LEHAR	जनपद पंचायत दिजापुर जिला छतरपुर जा.क्र. 1046 दि. 05.05.10	जनपद पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 992 दि. 07.06.10 शा.मा.शा. वरारू	2311100 1903
5	श्रीमती आमना बी सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. बेगमगंज जिला रायसेन	AT9516	23340222 839	नगर पालिका परिषद बेगमगंज जिला रायसेन जा.क्र. 568 दि. 30.06.08	नगर पालिका परिषद विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. 3153 दि. 01.08.09 शा.उ.मा.वि. विदिशा	2331077 7702
6	श्रीमती सीता श्रीवास्तव अध्यापक शा.न.मा.शा. तेवरइया जिला दमोह	AH8742	23120405 602	जिला पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र. 2043 दि. 09.06.10	जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.प.क्र. 711 दि. 03.06.10 शा.हाईस्कूल टाई	2310046 6602

*[Handwritten Signature]*

7	श्रीमती सरिता सिंह सोलंकी अध्यापक शा.मा.शा. कुल्हुआ जिला पन्ना	AT1514	23100304 702	जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र. 848 दि. 08.06.10	नगरपालिका परिषद छतरपुर जिला छतरपुर जा.क्र. निरंक दि. 08.06.10 शा.उ.मा.वि. क्र. 1 छतरपुर	2309057 7701
8	श्रीमती ममता देवी चहार सहायक अध्यापक शा.प्र.शा. मालथोन जिला सागर	AY4664	23110100 107	जनपद पंचायत मालथोन जा.क्र. 451 दि. 02.08.10 जिला सागर	जनपद पंचायत कूरवाई जिला विदिशा जा.क्र. 632 दि. 08.06.10 शा.क.प्र.शा. पठारी	2331031 3602
9	श्रीमती सीमा जैन अध्यापक शा.मा.शा. मगरा जिला सागर	AY6530	23110308 502	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 935 दि. 09.06.10	नगर पंचायत बडागांव जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 188 दि. 11.06.10 शा.उ.मा.वि. बडागांव	2308062 0003
10	श्रीमती सुमित्री देवी सहायक अध्यापक शा.पू.मा.वि. सूजीपूर्वा जिला रीवा	AX2304	23140804 001	जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा जा.क्र. 138 दि. 25.05.10	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र. 1345 दि. 14.06.10 शा.प्र.शा. नवीन कानारसैयदा	2332020 7501
11	श्रीमती हेमलता कतिया अध्यापक शा.नवीन मा.शा. अतारिया जिला नरसिंहपुर	AS1238	23400310 902	जिला पंचायत नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 2695 दि. 10.06.10	नगर पालिक निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. निरंक दि. निरंक शा.क.पू.मा.वि. गोविंदगंज	2339022 2722
12	श्री पवन कुलश्रेष्ठ सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.बा.प्रा.वि. सांगाखेडा जिला होशंगाबाद	AL7788	23370201 004	जनपद पंचायत बावई जिला होशंगाबाद जा.क्र. 1280 दि. 11.06.10	नगर पालिका परिषद मुरैना जिला मुरैना जा.क्र. व्यू-1 दि. 14.06.10 शा.प्रा.वि. गणेशपुरा	2302040 4402
13	श्रीमती कुसुम सिंह सहायक अध्यापक शा.मा.शा. तिघरा जिला पन्ना	AV5468	23130307 201	जनपद पंचायत पवई जिला पन्ना जा.क्र. 1280 दि. 30.07.08	जनपद पंचायत नागौद जिला सतना जा.क्र. 1111 दि. 17.05.10 शा.मा.शा. सेल्हा	231001098 01


### संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूज प्रमाण पत्र से मिलाप करना की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।

*Mra*

7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रपत्रों के संघ में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीवहृत तथा अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेग।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जाचक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालय में अभिलेख से पूर्णतः सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
15.6.10

उप संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15/6/10

पृ./ क्र०/शिका./बी/संवि./69/2010/ 578

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा तालिका के कालम-5 एवं 6 पर कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
15.6.10

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश





**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./सी/संवि./11/2010/ 581

भोपाल, दिनांक 15/6/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती पुष्पा दुबे सहायक अध्यापक शा.मा.वि. खुलरी जिला नरसिंहपुर	AR8111	234006176 03	जनपद पंचायत चावरपाठा जिला नरसिंहपुर जा.क्र.565-1दि 21.4.10	जनपद पंचायत जबलपुर जिला -जबलपुर जा.क्र.454दि 02.6.10 शा.प्रा.शाला घुन्सौर	2339012780 4
2	श्रीमती शकुन्तला पटेल सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बसुली जिला सीधी	BC1725	231707223 01	जनपद पंचायत सिहावल जिला सीधी जा.क्र.907 दि 22.4.10	जनपद पंचायत हनुमना जिला -रीवा जा.क्र.566 दि 12.5.10 शा.प्रा.शा. देवरा	231408127 01
3	श्रीमती सावित्री भारती अध्यापक शा.क. मा.वि. घुनवारा जिला सतना	AV4444	231302025 02	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.462दि 28.5.10	नगरनिगम जबलपुर जिला -जबलपुर जा.क्र.57 दि 10.6.10 शा.उ.मा.वि. गणेशगंज रांझी	233902777 10
4	श्रीमती अनुराधा सिंह अध्यापक शा.उ.मा.वि.अमगांव जिला सीधी	BC2453	231703108 02	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र.4876दि 24.5.10	जिला पंचायत रीवा जिला -रीवा जा.क्र.217 दि 12.6.10 शा.पूर्व मा.शा. कालिकन टोला	231402031 26
5	श्रीमती मधु सिंह सहायक अध्यापक शा.न.मा.वि. बड़ोजर जिला सिंगरौली	BC6097	235002153 01	जनपद पंचायत देवसर जिला सिंगरौली जा.क्र.1920दि 13.4.10	नगरपालिक निगम रीवा जिला -रीवा जा.क्र.878 दि 10.6.10 शा.प्रा.शा. उरईट शा.प्रा.शा. टेकुआ	2314011090 1
6	श्रीमती रेखा पारधी अध्यापक शा.हाईस्कूल गुदमा जिला बालाघाट	AC5932	234510688 07	जिला पंचायत बालाघाट जिला- बालाघाट जा.क्र.4194दि 01.6.10	जिला पंचायत नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर जा.क्र.क्यू दि.10.06.10 शा.हाईस्कूल पनारी	234002666 19

*M*

7	श्रीमती रेखा सिंह अध्यापक शा.हाईस्कूल सिजडटा जिला सतना	AW2457	231307666 17	जिला पंचायत सतना जिला-सतना जा.क्र.1234दि. 14.6.10	नगरपालिक निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र.78 दि.02.06.10 शा.पूर्व मा.शा. टेकुआ	231401109 02
8	श्रीमती निशा गुप्ता अध्यापक शा.मा.शा. विनैकीकला जिला सिवनी	AZ2511	234407013 05	जिला पंचायत सिवनी जिला-सिवनी जा.क्र.1597 दि. 10.6.10	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र.4904 दि.15.06.10 शा.क.मा.वि. कोसमी	234501024 02
9	श्रीमती अनिता बिसेन अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. घसौर जिला सिवनी	AZ2354	234407999 07	जिला पंचायत सिवनी जिला-सिवनी जा.क्र.1840दि. 10.6.10	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र.4903 दि.15.06.10 कमलानेहरू शा.क.उ. मा.वि. वारासिवनी	234507777 02
10	श्रीमती संगीता सिंह अध्यापक शा.मा.वि. डुहकुरिया जिला सीधी	BB9648	231703064 02	जिला पंचायत सीधी जिला-सीधी जा.क्र.4876दि. 24.5.10	नगरपालिक निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र.514 दि.12.05.10 शा.क.उ.मा.वि. पाण्डेनटोला	231401777 06
11	श्रीमती अनिता कुशवाहा अध्यापक शा.पूर्व मा.वि. कुढरिया जिला सीधी	BC1149	231703056 02	जिला पंचायत सीधी जिला-सीधी जा.क्र.4726दि. 18.5.10	नगरपालिक निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र.901 दि.14.06.10 शा.उ.मा.वि. निपानिया	231401666 02

### संविलियन की शर्त :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।



8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में सवलियन होने एवं सविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही सवलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति सविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यगीन की गई है। अतः उक्त सवलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।  
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



उप संचालक 15.6.10

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15/6/10

पृष्ठा क्र. / शि.क. / सी. / सवि. / // / 2010 / 582

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश